



दिल्ली विश्वविद्यालय UNIVERSITY OF DELHI

(राजभाषा प्रकोष्ठ RAJBHASHA CELL)

कमरा सं : 308, तृतीय तल, नया प्रशासनिक खंड, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007 (दूरभाष: 011-27666269, एक्स नं.: 1807)
Room No.:308, 3rd Floor, New Administrative Block, University of Delhi, Delhi-110007 (Phone: 011-27666269, Ext. No.: 1807)

फाइल सं: आरबीसी/34/ति.रि.(02)/2014/15953-16212

दिनांक: 24/09/2014

विषय : हिंदी के प्रयोग से संबंधित तिमाही (1 जुलाई, 2014 से 30 सितंबर, 2014 तक) प्रगति रिपोर्ट संबंधी सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

30 सितंबर, 2014 को समाप्त तिमाही (जुलाई-सितंबर, 2014) हेतु हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित रिपोर्ट राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजी जानी है। इस रिपोर्ट से संबंधित संलग्न प्रपत्र (Proforma) सभी विभागों/अनुभागों/कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अतः सभी संबंधित अधिकारियों से अनुरोध है कि कृपया संलग्न प्रपत्र में अपेक्षित सूचनाएं भरकर अधोहस्ताक्षरी को दि. 07-10-2014 तक अवश्य प्रेषित करें, ताकि समेकित रिपोर्ट 10 अक्टूबर, 2014 तक राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजी जा सके। यदि तिमाही प्रगति रिपोर्ट भरने संबंधी किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो राजभाषा प्रकोष्ठ में दूरभाष संख्या: 27666269 या एकसटेशन नं.1807 पर संपर्क कर सकते हैं।

कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाए।

संलग्नक : यथोपरि

आनंद कु. सोनी
24/9/2014

(आनंद कुमार सोनी)

सहायक कुलसचिव (राजभाषा)

प्रति: सभी विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक एवं अनुभाग/कार्यालय प्रमुख

केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि में

राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

Quarterly Progress Report Regarding Progressive Use of Official Language Hindi in Ministries/ Departments/Attached/ Subordinate Offices/PSUs/Autonomous Bodies etc. of Central Government

01 जुलाई, 2014 से 30 सितंबर, 2014 तक की तिमाही हेतु

भाग Part - I (प्रत्येक तिमाही में भरा जाए To be furnished at the end of each quarter)

कार्यालय का नाम और पूरा पता

Name and full postal address of the Office

संबंधित का राजभाषा अधिकारी का फोन नं.: एस.टी.डी कोड _____ फोन नं. _____ ई-मेल _____

Phone No. of the concerned Official Language Officer. STD Code _____ Tel. No. _____ E-mail _____

01. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात* Documents* issued under section 3(3) of Official Languages Act, 1963

(क) जारी कागजात की कुल संख्या Total no. of documents issued

(ख) इनमें से केवल अंग्रेजी में जारी किये गये कागजात No. of documents issued only in English

* इनमें सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस तथा संसदीय प्रश्न इत्यादि शामिल हैं।

* This include General Orders, Memorandums, Resolutions, Notifications, Rules, Agreements, Contracts, Tender Notices, Parliament Questions etc.

02. हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम - 5)

Letters received in Hindi (Official Languages Rule-5)

(क) हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या Total no. of letters received in Hindi

(ख) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए No. of letters replied in English

(ग) कितने पत्रों के उत्तर दिये जाने अपेक्षित नहीं थे No. of such letter which were not required to be replied

03. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' और 'ख' क्षेत्र में स्थित केंद्रीय कार्यालयों हेतु)
No. of letters received in English but replied in Hindi (Applicable to central offices located in 'A' & 'B' region)

	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या No. of letters received in English	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए Letters replied in Hindi	कितने पत्रों के उत्तर दिये जाने अपेक्षित नहीं थे No. of such letter which were not required to be replied
'क' क्षेत्र से From region 'A'			
'ख' क्षेत्र से From region 'B'			

04. भेजे गये कुल पत्रों का ब्योरा Details of total letters issued

	हिंदी/द्विभाषी में In Hindi/ Bilingual	केवल अंग्रेजी में English only	भेजे गए पत्रों की कुल सं. Total No. of letters issued	हिंदी/द्विभाषी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत %age of letters issued in Hindi/Bilingual
'क' क्षेत्र को To Region 'A'*				
'ख' क्षेत्र को To Region 'B' &				
'ग' क्षेत्र को To Region 'C' #				

* बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र।

& गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।

"क" तथा "ख" क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य।

.....2/-

05. फाइलों पर हिंदी में कार्य Notings in Hindi on files

तिमाही के दौरान लिखी गई टिप्पणियां

No. of noting's made during the quarter

हिंदी में In Hindi	अंग्रेजी में In English	कुल संख्या Total no.

06. शीर्षस्थ (मंत्रालय/विभाग में संयुक्त सचिव स्तर तथा अन्य कार्यालयों आदि में प्रशासनिक प्रमुख/कार्यालय प्रमुख स्तर की अध्यक्षता में आयोजित बैठकें) प्रशासनिक बैठकें Apex (Meetings organized under the chairmanship of Joint Secretary & above in Ministry/Department and Administrative Head/Head of Office in other Offices etc.) Administrative Meetings

(क) तिमाही के दौरान हुई शीर्षस्थ प्रशासनिक बैठकों की संख्या

No. of Top administrative meetings held during the Qtr.

(ख) ऐसी कितनी बैठकों में वार्तालाप/कार्यवाहियां पूरी तरह हिंदी में की गईं

No. of meetings out of the (a), in which the discussions/proceedings were conducted in Hindi completely

उल्लिखित सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

The above information has been prepared on the basis of available records and is true to my knowledge.

संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर :

Signature of the concerned officer : _____

अधिकारी का नाम

Name of the Officer : _____

पदनाम

Designation : _____

एसटीडी कोड सहित फोन नम्बर

Telephone No. with STD Code: _____

फैक्स नम्बर

Fax No. : _____

ई-मेल का पता

E-mail address : _____

नोट Note :-

- यह रिपोर्ट संबंधित अधिकारी से हस्ताक्षरित न होने पर लौटा दी जायेगी This report will not be accepted if not duly signed by the concerned Officer.
- कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सभी सूचनाएं स्पष्ट रूप से दी जाएं No column should be left blank and all information should be given distinctly.